1.5

प्रपत्र–11

परियोजना का नामः– जिला योजना में जनपद बागेश्वर में देवीनगर (धामपुर)–तुसरेरा–ठांगा मोटर मार्ग का निर्माण।

परियोजना का औचित्य

जिला योजना 2011–12 के अन्तर्गत जिला अधिकारी, बागेश्वर के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1499/ जिला योजना/ 2011–12 दिनांक 22.10.2011 द्वारा जनपद बागेश्वर में विधान सभा कपकोट के अन्तर्गत देवीनगर (धामपुर) –तुसरेरा–ठांगा मोटर मार्ग (प्रथम चरण) हेतु रू0 0.50 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। भारत सरकार से वन भूमि स्वीकृति उपरान्त राज्य सरकार द्वारा मोटर मार्ग निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत की जायेगी।

जनपद बागेश्वर में विधान सभा कपकोट के अन्तर्गत सीमान्त गांव तुसरेरा आवादी (118) एवं ठांगा (160) अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़े हैं। इस मोटर मार्ग का निर्माण सिमली–ग्वावलदम–बैजनाथ–बागेश्वर–बेरीनाग–अस्कोट राष्ट्रीय राज्य मार्ग संख्या 11 में देवीनगर (धामपुर) नामक स्थान जो कि जनपद पिथौरागढ़ का सीमान्त गांव है, से प्रस्तावित किया गया है और जनपद बागेश्वर के सीमान्त ग्राम तुसरेरा होते हुए ठांगा तक इस मार्ग की कुल लम्बाई 7.00 कि0मी0 आती है जहां पर यह निर्माणाधीन खातीगांव–नरगोली–चन्तोल मोटर मार्ग में ग्राम ठांगा में मिल जायेगा। सैनिक बाहूल्य क्षेत्र होने से लगभग प्रत्येक परिवार का एक युवक देश की सीमाओं की रक्षा हेतु सेना में कार्यरत हैं। जंगल के निकट का ग्राम होने से स्थानीय जनता अपनी दैनिक आवश्यकता हेतु जंगलों पर निर्भर रहती हैं जिस कारण प्रति वर्ष काफी संख्या में वृक्षों का पातन होता है। जंगलों को बचाने हेतु शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में रसोई गैस के उपयोग पर विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा हैं। इस सम्पर्क मोटर मार्ग का निर्माण हो जाने से लगभग लगभग 46 परिवारों को यातायात एवं परिवहन सुविधा के साथ ही गैस प्राप्त करने में सुविधा होगी जिससे जंगलों को बचाने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त ग्रामीणों को अपने उत्पादों को नजदीकी मुख्य बाजार बेरीनाग तक लाने में मदद मिलने से उनके आर्थिक स्तर में सुधार होगा। स्कूली बच्चों को अध्ययन हेतु बेरीनाग स्थित विघ्यालयों में आने जाने की सुविधा होगी जिससे मुख्यरूप से बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा। अधिकांश लम्बाई में वन भूमि आने एवं ग्रामीण मोटर मार्ग होने के कारण न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार 07 मीटर चौड़ाई में ही भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित किया जा रहा है जिसमें मलवा निस्तारण योजना के अनुसार अवशेष मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थलों का 0.112 है0 क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए कुल 4.4905 है0 वन भूमि प्रभावित हो रही है,। यह क्षेत्र चीड़ बाहूल्य क्षेत्र है जिसमें प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में चीड़ के वृक्ष प्राकृतिक रूप से उगते है। मोटर मार्ग निर्माण उपरान्त 5 वर्ष के अन्दर स्वतः ही उगने की वजह से काटे जाने वाले वृक्षों की क्षतिपूर्ति हो जायेगी। उल्लेखनीय है कि जनपद बागेश्वर में लगभग 71 प्रतिशत भू–भाग वनाछादित है। जनहित में बुनियादी ढांचे के विकास, पर्यटन को बढ़ावा देने, वनों की सुरक्षा, पहाड़ी क्षेत्र से पलायन को रोकने एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन हेतु वन भूमि के उपयोग के अलावा और कोई विकल्प नहीं हैं। अतः उपरोक्त कारणों से इस मोटर मार्ग का निर्माण वन भूमि में प्रस्तावित किया गया है जो अपरिहार्य एवं औचित्यपूर्ण है।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर